भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3872

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अंतर-राज्यीय व्यापार

3872. श्री महेश कश्यपः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बस्तर से महुआ, इमली, तेंदू पत्ता, लाख, शहद, बांस और अन्य लघु वनोपजों के अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;

(ख) क्या सरकार का सीमावर्ती राज्यों के बीच कृषि और वनोपज के लिए एक साझा विपणन प्रणाली विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या बस्तर में कृषि और वनोपज के लिए एक अंतर-राज्यीय व्यापार केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय/ट्राइफेड के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद, मूल्य संवर्धन और विपणन में सहायता करती है। इस स्कीम के तहत, महुआ, इमली, लाख और शहद सहित 87 एमएफपी वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित किए गए हैं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों में लागू हैं। छत्तीसगढ़ में नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) एमएफपी की खरीद का कार्य करती है। मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज को मजबूत करने के लिए वन धन विकास केंद्रों और संबंधित अवसंरचना को भी सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उत्पादन, एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना और बाजार पहुंच के लिए प्रासंगिक स्कीमों और प्लेटफार्मों को कार्यान्वित करता है। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम): एनबीएचएम राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद के संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और संग्रह/ब्रांडिंग/पैकेजिंग सुविधाओं के लिए परियोजना-आधारित सहायता भी उपलब्ध है।

ii. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम): यह मिशन शुरू से अंत तक मूल्य-श्रृंखला एप्रोच का अनुपालन करता है, जिसमें एफपीओ/सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों और उद्योगों लिंकेज के साथ-साथ योग्य गैर-वन भूमि पर बांस की खेती, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन शामिल है, छत्तीसगढ़ विशेष रूप से इस मिशन के अंतर्गत आने वाले बांस-समृद्ध राज्यों में शामिल है।

iii. ई-नाम: ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्म है, जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी उत्पादों के लिए अंतर-राज्य व्यापार को सुगम बनाना है। इस संसदीय प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचित/व्यापार योग्य वस्तुओं की सूची में इमली, महुआ का फूल, महुआ का बीज, बांस और कच्चा शहद शामिल हैं। इस प्रकार, यह प्लेटफार्म स्वयं अंतर-राज्य बाजार तक पहुंच के लिए एक तंत्र प्रदान कर सकता है, जहां संबंधित उपज को लागू राज्य/एपीएमसी /ई-एनएएम फ्रेमवर्क के भीतर लाया जाता है

iv. 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन: यह स्कीम एकत्रीकरण, व्यापार, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, डिजिटल कॉमर्स, बाजार लिंकेज और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देती है। इसके प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों में विशेष रूप से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के कृषक उत्पादक संगठन को वन और लघु वन उपज के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान है, जो इसे बस्तर के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है।

v. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ): एआईएफ फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला की अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान करता है, जिसमें भंडारण, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। इसलिए, यह पात्र कृषि उत्पादों के लिए एकत्रीकरण/विपणन सुविधाओं के विकास को पूरा कर सकता है, हालांकि सिर्फ इस सहयोग को स्वयं बस्तर में एक समर्पित अंतर-राज्यीय व्यापार केंद्र को मंजूरी देना नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान में, इस विभाग के पास बस्तर से लघु वन उपज के अंतर-राज्यीय व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा देने की कोई अलग स्कीम, या बस्तर में कृषि और वन उपज के लिए एक अंतर-राज्यीय व्यापार केंद्र स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि और लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज के लिए कार्य किए गए हैं, जिसमें जगदलपुर, बस्तर में ट्राइफूड सुविधा शामिल है।
